315/

संख्याः 14 /XXVI/एक भागीरथी(06)/2015

प्रेषक,

सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 18 जनवरी, 2016

विषय–वित्तीय वर्ष 2015–16 में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण हेतु आयोजनागत पक्ष में अवचनबद्व मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–XXVII(1)/2014 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 तथा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या–499, दिनांक 5 जुलाई, 2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनगत पक्ष की अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखार्शीषक 3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–06–भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 25 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 1 अप्रैल, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी एंव उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। ताकि समय एवं लागत वृद्वि से बचा जा सके।

2– स्वीकृत धनराशि आप द्वारा योजना कियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड़ देहरादून को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और यथा आवश्यक सम्बंधित अधिकारी अंकित व्यवस्थानुसार समय–समय पर इसका आहरण/व्यय करेगें।

3– प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं विकास कार्यों हेतु किया जायेगा जो कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत हों तथा उपयुक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

4– कार्यों की मासिक प्रगति प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5– योजना पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।